<u>न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>विभाजन वाद संख्या–159/2018</u>
cis-6/2019

सविता रानी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विश्वजीत साहा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>22.12.2021</u> उभय पक्ष की पैरवी है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 12.01.2021 अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है, जिस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 22.10.2021 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है। साथ ही प्रतिवादीगण की ओर से वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 12.01.2021 का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया।

वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि अपने आवेदन में कहना है कि अशिक्षित व देहाती महिलाएँ हैं तथा वादपत्र दाखिल करते समय नीलकमल साहा की पुत्रियों के बारे में अपने अधिवक्ता को जानकारी नहीं देने के कारण उन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया जा सका। प्रतिवादीगण के बयान तहरीरी से उजागर हुआ कि नीलकमल साहा अपने पीछे अपनी पत्नी व पुत्र के अलावा 4 पुत्रियों को छोड़कर स्वर्गवासी हुए। अतः निवेदन है कि आवेदन में वर्णित नीलकमल साहा के वारिसानों का नाम प्रतिवादी कॉलम में दर्ज करने की अनुमति दी जाय।

इस संबंध में प्रतिवादीगण का कहना है कि वादीगण का आवेदन सही तथ्यों पर आधारित नहीं है, जिस कारण खारिज होने योग्य है। वादीगण अपने वादपत्र मे बयान किए हैं कि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ परन्तु नीलकमल साहा का वंशज होना ज्ञात नहीं है। यह कि प्रस्तुत वाद दाखिल किए 2 वर्ष हो जाने के बाद वादीगण को पक्षकार बनाने की आवश्यकता पड़ी है। उपरोक्त तथ्यों के आतलोक में वादीगण का आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वादग्रस्त भूमि के बंटवारा हेतु दाखिल किया गया है। वादीगण का कहना है कि प्रस्तुत वाद में नीलकमल साहा के वारिसान आवश्यक पक्षकार हैं, किन्तु यह बात वाद दाखिल करते समय अनपढ़ होने के कारण अपने विद्वान अधिवक्ता को नहीं बता पाई। नीलकमल साहा के वारिसान इस वाद के आवश्यक पक्षकार प्रतीत होते हैं तथा उनकी अनुपस्थिति के बिना वाद का सम्यक निस्तारण नहीं हो सकता है। ऐसी दशा में न्याय हित में वादीगण का आवेदन स्वीकृत करते हुए कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादीगण के आवेदन में वर्णित नीलकमल साहा के वारिसानों को वादपत्र के प्रतिवादी कॉलम में नाम जोड़ें। तत्पश्चात वादीगण नये प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेख दिनांक 21.01.2022

अवर न्यायाधीश(प्रथम)